

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश होशंगाबाद (म.प्र.)

परिपत्र

क्रमांक 440/दो-1-8/19
प्रति,

होशंगाबाद दिनांक 25.03.2020

- (1) समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण,
- (2) समस्त अनुभाग, प्रभारी अधिकारीगण,
- (3) प्रस्तुतकार, जिला न्यायाधीश होशंगाबाद,
- (4) अध्यक्ष/सचिव, अभिभाषक संघ,
होशंगाबाद/इटारसी/पिपरिया/सोहागपुर/सिवनीमालवा, जिला
होशंगाबाद म.प्र.
- (5) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय होशंगाबाद,
- (6) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होशंगाबाद,
- (7) लोक अभियोजक होशंगाबाद,
- (8) जिला अभियोजन अधिकारी होशंगाबाद,

विषय:- कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के कारण देशव्यापी लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा दिये गये आगामी दिशा निर्देशों के संबंध में।

संदर्भ:- माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर का ज्ञापन क्रमांक क्यू-2 जबलपुर दिनांक 22.03.2020 एवं क्यू-4 जबलपुर दिनांक 23.03.2020 एवं क्यू-5 जबलपुर दिनांक 25.03.2020

—00—

भारतवर्ष के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु दिनांक 24.03.2020 को देशव्यापी संपूर्ण लॉकडाउन की सार्वजनिक घोषणा की गयी है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40-3/2020-डी दिनांक 24.03.2020 में वर्णित शर्तों के अधीन सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ के जमाव के कारण कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के फैलने की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पूर्व में जारी किये गये संदर्भित परिपत्रों के अतिरिक्त परिपत्र क्रमांक क्यू-5 दिनांक 25.03.2020 जारी कर तत्काल प्रभाव से तीन सप्ताह अर्थात् दिनांक 14.04.2020 (सार्वजनिक अवकाश सहित) तक अधीनस्थ न्यायालयों एवं परिवार न्यायालयों में कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए कोई न्यायालयीन कार्य न किये जाने की घोषणा की गयी है।

उपरोक्त संदर्भित परिपत्रों एवं माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा की गयी घोषणा के आलोक में मैं चन्द्रेश कुमार खरे जिला एवं सत्र न्यायाधीश होशंगाबाद निम्नानुसार निर्देश जारी करता हूँ:-


1. यह कि दिनांक 14.04.2020 तक जिला न्यायालय एवं परिवार न्यायालय परिसर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की विशेष अनुमति के बिना किसी का भी प्रवेश निषेधित रहेगा।
2. प्रशासनिक अथवा न्यायिक कार्य के संबंध में आवश्यक संपर्क करने हेतु मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होशंगाबाद की ई-मेल आई.डी vinodshrivastava1987@gmail.com एवं Mobile No. 9424673066 है।
3. यह कि सभी न्यायिक अधिकारी एवं न्यायालयीन कर्मचारीगण (परिवार न्यायालय सहित) अपनी पदस्थापना के स्थान पर अपने-अपने घरों में उपलब्ध रहेंगे एवं उन्हें निर्देश दिये जाने पर वे अत्यावश्यक सेवाएं देंगे। सभी न्यायिक अधिकारीगण एवं न्यायालयीन कर्मचारीगण (परिवार न्यायालय सहित) अपने-अपने मोबाईल फोन चालू रखेंगे ताकि उन्हें सौंपी जाने वाली डियूटी के संबंध में उनसे संपर्क किया जा सके।
4. यह कि कोई भी मामला जब तक वह अति आवश्यक अथवा आकस्मिक प्रकृति का न हो जिला न्यायाधीश अथवा प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय जैसी भी स्थिति हो की अनुमति के बगैर विचार में नहीं लिया जाएगा और अनुमति दिये जाने पर अधिवक्ता/पक्षकार या संबंधित व्यक्ति को स्थान एवं वीडियो कांफ्रेंसिंग या अन्यथा संबोधित किये जाने के संबंध में निर्देश दिये जाएंगे।
5. यह कि इस समयावधि में कम से कम लोग जिनका अति आवश्यक प्रकृति का कार्य न्यायालय में हो वे ही न्यायालय में आएंगे, जिससे न्यायालय में अनावश्यक भीड़ न हो। दिनांक 26.03.2020 से दिनांक 14.04.2020 के बीच पड़ने वाले कार्यदिवसों में पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्यू-2 दिनांक 22.03.2020 के आलोक में अति आवश्यक कार्य रिमाण्ड एवं जमानत हेतु अपर सत्र न्यायाधीशों एवं न्यायिक दण्डाधिकारीगण की डियूटी प्रथक से संलग्न अनुसूची अनुसार लगायी गयी है, जिन न्यायिक अधिकारीगण की डियूटी लगायी गयी है वे शाम 04 से 05 बजे के बीच डियूटी करेंगे। इस अवधि में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश के दिनों में न्यायिक दण्डाधिकारीगण की रिमाण्ड डियूटी मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी होशंगाबाद द्वारा नियमानुसार लगायी जावे।
6. यह कि केवल वे न्यायालयीन कर्मचारीगण जिनकी डियूटी लगायी गयी हो के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालयीन कर्मचारीगण उक्त समयावधि में न्यायालय नहीं आएंगे एवं अपने-अपने मुख्यालय पर अपने-अपने घरों में

उपलब्ध रहेंगे।

7. यह कि दिनांक 01.04.2020 से 14.04.2020 के मध्य कार्यदिवसों में नियत प्रकरणों में आगामी सुनवाई तिथि की सूचना न्यायालय नियमित रूप से खुलने पर सी.आई.एस./वेबसाइट/नोटिस बोर्ड पर तथा अभिभाषक संघ को एवं अधिवक्तागण को एस.एम.एस. के माध्यम से भी दी जाएगी।

उक्त निर्देशों का सभी संबंधित कढ़ाई से पालन सुनिश्चित करें, इसमें किसी किरम की लापरवाही बरती जाने पर उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जावेगी।


संलग्न— अनुसूची 1 एवं 2


(चन्द्रेश कुमार खरे)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक 441/दो-1-8/19
प्रतिलिपि,

होशंगाबाद दिनांक 25.03.2020

- (1) रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (2) जिला दण्डाधिकारी होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (3) पुलिस अधीक्षक होशंगाबाद की ओर समस्त थाना प्रभारियों को सूचित किये जाने एवं न्यायालय में जिन कर्मचारियों की अत्यावश्यक डियूटी लगायी गयी है उन्हें न्यायालय आने जाने की अनुमति दिये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (4) जिला जनसंपर्क अधिकारी होशंगाबाद की ओर जिला व संभाग के दैनिक समाचार पत्र क्रमशः दैनिक भास्कर, जागरण एवं पत्रिका में प्रकाशनार्थ कार्यवाही हेतु प्रेषित।


जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद (म.प्र.) 25.3.20.

11.04.2020	श्री के.एन. सिंह (प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश)	श्री देवेश उपाध्याय (प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश)	श्रीमती कीर्ति कश्यप (द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश)
13.04.2020	श्री के.एन. सिंह (प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश)	श्री देवेश उपाध्याय (प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश)	श्रीमती कीर्ति कश्यप (द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश)

अनुसूची - 2

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम/द्वितीय श्रेणी अधिकारियों का डियूटी चार्ट

दिनांक	होशंगाबाद	इटारसी	पिपरिया
26.03.2020	श्री विजय कुमार पाठक न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	सुश्री कृतिका सिंह न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	श्री फिरोज अख्तर न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी
27.03.2020	श्री हिमांशु कौशल मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी होशंगाबाद	सुश्री कृतिका सिंह न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	श्री फिरोज अख्तर न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी
23.03.2020	श्रीमती मीना शाह न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	सुश्री कृतिका सिंह न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	सुश्री सपना कनोड़िया न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी
30.03.2020	कु. ज्योति चतुर्वेदी न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	श्री निवेश कुमार जायसवाल न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	श्री फिरोज अख्तर न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी
31.03.2020	कु. ज्योति चतुर्वेदी न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	श्री निवेश कुमार जायसवाल न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	श्री फिरोज अख्तर न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी
01.04.2020	कु. ज्योति चतुर्वेदी न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	श्री निवेश कुमार जायसवाल न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	सुश्री सपना कनोड़िया न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी
03.04.2020	श्री विजय कुमार पाठक न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	श्री निवेश कुमार जायसवाल न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	सुश्री सपना कनोड़िया न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी
04.04.2020	श्रीमती मीना शाह न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	श्रीमती स्वाति निवेश कुमार जायसवाल न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	श्री फिरोज अख्तर न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी
07.04.2020	श्री विजय कुमार पाठक न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	श्रीमती स्वाति निवेश कुमार जायसवाल न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	श्री यश कुमार सिंह न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी
08.04.2020	श्री चिराग अरोरा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय	श्रीमती स्वाति निवेश कुमार जायसवाल	श्री यश कुमार सिंह न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम


	श्रेणी	न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	श्रेणी
09.04.2020	श्रीमती मीना शाह न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	श्रीमती स्वाति निवेश कुमार जायसवाल न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	श्री यश कुमार सिंह न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी
11.04.2020	श्री विजय कुमार पाठक न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	श्रीमती स्वाति निवेश कुमार जायसवाल न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	श्री यश कुमार सिंह न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी
13.04.2020	श्री हिमांशु कौशल मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी होशंगाबाद	सुश्री कृतिका सिंह न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	श्री यश कुमार सिंह न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी

नोट— (1) तहसील स्थापना सोहागपुर में पदस्थ **श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल** अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोहागपुर अनुसूची क्रमांक 1 में दर्शित कार्यदिवसों एवं **श्री मनीष अनुरागी** न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसील स्थापना सिवनीमालवा में पदस्थ **श्री यशवंत कुमार मालवीय** न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी उपरोक्त अनुसूची क्रमांक 2 में दर्शित कार्यदिवसों में परिपत्र में उल्लेखित आवश्यक कार्य करेंगे।

(2) उक्त सारणी अनुसार जिन न्यायिक अधिकारीगण की डियूटी लगायी गयी है, उनके साथ उनके न्यायालय के आवश्यक स्टाफ में प्रवर्तन लिपिक, बोर्ड प्यून एवं स्टेनो अथवा साक्ष्य लेखक न्यूनतम कर्मचारीगण को ही डियूटी पर बुलाया जाकर कार्य लिया जावे।

(3) कम्प्यूटर सर्वर रूम में पंजीयन कार्य हेतु सार्वजनिक अवकाश छोड़कर जिला मुख्यालय होशंगाबाद में श्री संजय गढेवाल सहायक ग्रेड 3 दिनांक 26.03.2020 से 01.04.2020 तक तथा श्री जगदीश माछिया सहायक ग्रेड 3 दिनांक 03.04.2020 से 13.04.2020 तक अपरान्ह 04:00 से 05:00 बजे तक न्यायालय में उपलब्ध रहेंगे।

(4) तहसील मुख्यालयों पर पंजीयन कार्य, सफाई कार्य व चौकीदारी कार्य हेतु प्रभारी अधिकारी नजारात आवश्यकतानुसार न्यूनतम कर्मचारियों की डियूटी लगाएंगे एवं इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि न्यायालय परिसर में अनावश्यक व्यक्तियों की भीड़ न लगे।


 (चन्द्रेश कुमार खरे)
 जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 होशंगाबाद (म.प्र.)